न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2023

1. अस्त अली पुत्र श्री फूल स्या
2. इकबाल पुत्र श्री समसुदीन स्या
3. अब्दुल रसीद पुत्र नजीर स्या
4. फारूक पुत्र फजलुदीन
5. खलील पुत्र मुमताज स्या

समस्त जातियान फकीर निवासीगण मुखबास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत तोलियासर पंचायत समिति मण्डावा जिला झुन्झुनूं जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
2. मुहम्मद शाह पुत्र रमजू शाह जाति फकीर तथाकथित निवासी मुखवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं
3. रहीम शाह पुत्र उमर शाह जाति फकीर तथाकथित निवासी मुखवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं
4. अबुल शाह पुत्र उमर शाह जाति फकीर तथाकथित निवासी मुखवास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं
5. अब्दुल खलीफ पुत्र शाले मोहम्मद
6. अब्दुल लतीफ पुत्र शाले मोहम्मद
7. अब्दुल शकूर पुत्र मोहम्मद इलियाश
8. अमीना पुत्री मोहम्मद इलियाश
9. आदिल पुत्र अयूब

समस्त जातियान फकीर निवासीगण वार्ड नं. 16,रतन नगर, तहसील व जिला चूरू (राज.) तथाकथित

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वारिसान रहीम शाह

10. आदिल हुसैन पुत्र अलताफ हुनैन

11. आबिदा पुत्री शाले गोहम्मद

12 आलिया पुत्री शाले मोहम्मद

13 उमरदराज पुत्र मोहम्मद इलियाश

14 कश्मीरन पुत्री अजहर हुसैन

15 खुशी मोहम्मद पुत्र फरजन्द अली

16 गुलशन बानो पत्नी सयद हुसैन

17. जैनब पुत्री रहीम शाह

18. जैबुनिशा पुत्री फरजन्द अली

19. जुल्फिकार पुत्र मंजूर हुसैन

20. जाकिर पुत्र मंजूर हुसैन

21. जाहिदा पुत्री शाले मोहम्मद

22 नजमा पुत्री सयद हुसैन

23. मदीना पुत्री सयद हुसैन

24. मुस्ताक अहमद पुत्र मंजूर हुसैन

25. महफुज अली पुत्र शाले मोहम्मद

26. मोहम्मद असलम पुत्र अजहर हुसैन

उपखण्ड अधिकारी
पछवादून

27. मोहम्मद असलम पुत्र अलताफ हुसैन

28. मोहम्मद आरिफ पुत्र अलताफ हुसैन

29. मोहम्मद दाउद पुत्र मोहम्मद इलियाश

30. मोहम्मद फारूक पुत्र सयद हुसैन

31. मोहम्मद मुस्लिम पुत्र मोहम्मद इलियाश

32. मोहम्मद युसुफ पुत्र अलताफ हुसैन

33. मोहम्मद रफीक पुत्र अजहर हुसैन

34. मोहम्मद वसीम पुत्र सयद हुसैन

35. मोहम्मद शकील पुत्र मंजूर हुसैन

समस्त जातियान फकीर निवासीगण वार्ड नं. 16.रतन नगर, तहसील वजिला चूरू (राज.)

तथाकथित वारिसान रहीम शाह

36.मोहम्मद शरीफ पुत्र हसमत अती

37. मोहम्मद सलीम पुत्र शाले मोहम्मद

38 मोहम्मद हारून पुत्र अजहर हुसैन

39 युनुश अली पुत्र फरजन्द अली

40 रजा अली पुत्र मोहम्मद इलियाश

41 रजिया बानो पुत्री अलताफ हुसैन

42 शकीला बानो पुत्री अलताफ हुसैन

43 समीर पुत्र सयद हुसैन

44 सावित्रा बानो पुत्री अलताफ हुसैन

45 नसीम पुत्री अयूब

46. फतेह मोहम्मद पुत्र गोस मोहम्मद

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

गजीदन पुत्री गोस मोहम्मद

समस्त जातियान फकीरनिवासीगण वार्ड नं. 16,रतन नगर तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज)

तथाकथित वारिसान रहीम शाह

– रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत तोलियासर के
नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 05.01.2023

ऐडवोकेट अपीलान्ट :– श्री सुरेन्द्र किशनावत अपीलान्ट

आदेश

दिनांक 16.01.2025

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स व उनके अन्य परिवारजन की पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्रो मुखवास पटवार हल्का मेहरादासी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं मे अवस्थित चली आ रही है। जिसमे राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों द्वारा लापरवाहीपूर्वक किसी तथाकथित मुहम्मद शाह पुत्र रमजू शाह, रहीम शाह व अब्दुल शाह पुत्रगण उमर शाह जाति फकीर निवासी मुखवास के नाम अवैध से उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज कर दी जबकि उक्त तथाकथित मुहम्मद शाह, रहीम शाह व अब्दुल शाह का उक्त भूमि पर कभी भी किसी प्रकार सेकृषक के तौर पर खुदकाश्त दर्ज नहीं रही थी। इस प्रकार उक्त अवैध राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में कुछ भू–माफिया प्रवृति के व्यक्तियों द्वारा उक्त रहीम शाह व अब्दुल शाह के फर्जी तौर पर वारिसान बनकर अपीलान्ट्स व उनके परिवारजन की कब्जे काश्त की उक्त भूमि की बाबत राजस्व कर्मचारियो से साजकर गलत रूप से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 05.01.2023 को ग्राम पंचायत तोलियासर पंचायत समिति मण्डावा से स्वीकृत करवा लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पंचायत तोलियासर के उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है रू– राजस्व ग्राम मुखवास पटवार हल्का मेहरादासी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं की सरहद कृषि भूमि हाल खाता संख्या 31 खसरा नम्बर क्रमशः 120 रकबा 1.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 1.18 हैक्टेयर, 156 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 190 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 191 रकबा 1.00 हैक्टेयर, 192 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 194 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 195 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 196 रकबा 2.35 हैक्टेयर, 197 रकबा 1.02 हैक्टेयर, 217 रकबा 1.52 हैक्टेयर, 218 रकबा 1.63 हैक्टेयर, 42 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 43 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 44 रकबा 1.18 हैक्टेयर, 45 रकबा 1.42 हैक्टेयर, 48 रकबा 1.16 हैक्टेयर, 49 रकबा 0.97 हैक्टेयर, 50 रकबा 1.43 हैक्टेयर, 51 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.10 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 81 रकबा 1.90 हैक्टेयर कुल किता 22 कुल रकबा 19.13 हैक्टेयर अवस्थित है जिसके गत खसरा नम्बर क्रमशः 40, 61, 66, 76, 7, 10, 11, 29 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रहे है।उपर्युक्त भूमि वर्णित धारा 1 मे से गत खसरा नम्बर 10, 11, 66, 29, 40 व 76 को अपीलान्ट्स के पूर्वज लादूशाह पुत्र इलाईबक्स व रसुला पुत्र लादू शाह कौम फकीर निवासी मुखबास राजस्थान भूमिसुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही बतौर कृषक काबिज होकर काश्त कर रहे थे। इस कारण उपरोक्त भूमियों की जमाबन्दी सम्वत 202 में भूमि गत खसरा नम्बर 7 व 29 रकबा 18 बीघा 13 विश्वा रसूला पुत्र लादूशाह जाति फकीर तथा भूमि गत खसरा नम्बर 10, 11, 40. 6 व 76 कुल रकबा 55 बीघा 9 विश्वा लादुशाह पुत्र इलाईबक्स की आतेदारी में दर्ज रही। तत्पश्चात उक्त भूमियो के राजस्व रिकॉर्ड जनान्दी सम्वत 2018 व सम्वत 2022 से 2025 में भी उक्त भूमियां इसः भांति अपीलान्ट के पूर्वज रसूल शाह उर्फ रसूला वल्द लादूशाह तथा लादूशाह वल्द इलाईबक्स व मनीर, हकीमुदीन, नजीर पुत्रगण लादु शाह कौम फकीर की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

त में दर्ज रही है।इसी प्रकार उक्त भूमियों गत खसरा नम्बर 10, 11 व 66 की खसरा गिरदावरी सम्वत
09 से 2012 में अपीलान्ट्स के पूर्वज लादूशाह वल्द इलाईबक्स का नाम कॉलम संख्या 6 मे बतौर कृषक
रहा है जो उक्त भूमि की खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2014 तथा 2015 से 2018 व 2019 मे
स्तूर दर्ज रहा है। इस दौरान उक्त भूमि को लादु शाह के वारिसान के नाम भी काश्त दर्ज रही है
पश्चात सम्वत 2031 से 2034 की काश्त दर्शित करने वाली अंतिम खसरा गिरदावरी मे भी भूमि गत
सरा नम्बर 10 व 66 में मनीर पुत्र लादूस्या की काश्त दर्ज रही तथा गत खसरा नम्बर 11 मे नजीर पुत्र
ादुस्या की काश्त दर्ज रही है। इसी भांति भूमि गत खसरा नम्बर 66 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से
018 अपीलान्ट्स के पूर्वज लादुस्या पुत्र इलाईबक्स का नाम कॉलम संख्या 6 मे बतौर कृषक दर्ज है तथा
ासरा गिरदावरी सम्वत 2019 मे लादुस्या के पुत्र मनीर शाह व हकीमुदीन शाह का नाम कॉलम नं. 6 मे
तौर कृषक दर्ज है तथाखसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2035 में भी उक्त भूमि पर काश्त हकीमुदीन व
मनीर शाह पुत्रगण लादुस्था की दर्ज है।कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 40 व 76 की खसरा गिरदावरियो
सम्वत 2009 से 2019 तक में अपीलान्ट्स के पूर्वज लादुस्या पुत्र इलाईबक्स फकीर का नाम कॉलम संख्या
6 में बतौर कृषक दर्ज रहा है तत्पश्चात खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2022 मे भी उक्त भूमि लादुस्या
व उसके पुत्रगण मनीरशाह व नजीर शाह की काश्त में दर्ज रही है तथा काश्त दर्शित करने वाली अंतिम
खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 में उक्त भूमि काश्त फूल शाह पुत्र लादुस्या तथा किताबुदीन पुत्र
नजीरस्या तथा नजीर स्या व मनीर स्या पुत्रगण लादु स्या के नाम दर्ज रही है।इसी प्रकार कृषि भूमि गत
खसरा नम्बर 29 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2022 तक मे अपीलान्ट्स के पूर्वज रसूलस्या उर्फ
रसूला पुत्र लादुस्या का नाम कॉलम नम्बर 6 में बतौर कृषक दर्ज रहा है तथा अंतिम खसरा गिरदावरी
सम्वत 2031 से 2034 मे रसूल स्या के पुत्र फजलूदीन की काश्त दर्ज रही है।कृषि भूमि गत खसरा नम्बर
7 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2018 में काश्तकार के रूप में अपीलान्ट्स के पूर्वज रसूल स्या उर्फ
रसूला पुत्र लादु स्या का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है तथा सम्वत 2020 से 2022 तथा सम्वत 2031 से
2034 मे रसूल स्या के पुत्र समसुदीन उर्फ समसु स्या की काश्त दर्ज रिकॉर्ड रही है।इस प्रकार कृषि भूमि
गत खसरा नम्बर 10, 11, 40, 66, 76, 7 व 29 पर राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभाव मे आने के
पूर्व से ही अपीलान्ट्स के पूर्वज लादू स्या पुत्र इलाहीबक्स व रसूल स्या पुत्र लादु स्या बतौर कृषक काबिज
काश्त रहे है उनके देहान्त केपश्चात स्था वर्तमान में अपीलान्ट्स सहित उनके वारिसान उक्त भूमि पर
निरमार काबिज काश्त चले आ रहे है।स्पोडेन्ट्स संख्या 5 लगायत 47 के तथाकथित पूर्वज रहीम शाह व
अब्दुल शाह पुत्रगण उमर शाह फकीर ने अथवा मुहम्मद शाह पुत्र रमजू शाह फकीर ने उपर्युक्त भूमि गत
खसरा नम्बर 10, 11, 66, 40. 76, 7 व 29 को कभी भी किसी भी रूप में काश्त नहीं किया, ना ही उनका
उपर्युक्त भूमियों के किसी भी हक हिस्से पर कब्जा बहैसियत खुद काश्त रहा। अपितु उक्त भूमियां पूर्व में
उनकी माफी मे दर्ज रही थी तथा उनका नाम पूर्व मे उपर्युक्त भूमियों की जमाबन्दियों के कॉलम संख्या 4 में
बहैसियत भूमिधारी / जागीरदार (संशोधित नामो सहित) अंकित रहा है। जो माफी/जागीर दिनांक 01.07.
1958 को खालसा/जप्ती हो चुकी थी, इसलिए जागीर पुर्नग्रहण हो जाने के कारण जमाबन्दी के कॉलम
संख्या 4 मे राजस्थान सरकार का नाम विधिक प्रावधानो के तहत दर्ज हो गया तथा अपीलान्ट्स के पूर्वज
लादु स्या वल्द इलाहीबक्स एवं रसुल स्या उर्फ रसूला वल्द लादु स्या को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 की धारा 15 व 19 के तहत उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार उक्त भूमि की
खातेदारी अपीलान्ट्स के पूर्वजो को ब्वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ॰ प्राप्त हो गए।लादु स्या पुत्र इलाहीबक्स तथा
रसूल स्या उर्फ रसूला पुत्र लादु स्या के देहान्त के पश्चात उपर्युक्त भूमि अपीलान्ट्स सहित उनके वारिसान
को विरासत मे प्राप्त हो गई। जिस पर वे अपने परिवारिक समझौतानुसार निरन्तर खातेदार काबिज
काश्तकार चले आ रहे है। अपीलान्ट संख्या 1 अस्त अली लादू स्या का पौत्र है तथा अपीलान्ट संख्या 2
इकबाल उक्त रसूल स्या उर्फ रसूला का पौत्रथा लादु स्था का प्रपौत्र है तथा अपीलान्ट संख्या 3 अब्दुल
रसीद उक्त लाई स्या पुत्र इलाहीबक्स का पौत्र है तथा अपीलान्ट संख्या 4 फारूक सूल स्या का पौत्र तथा
लादू स्या का प्रपौत्र है तथा अपीलान संख्या 5 खलील मनीर स्या का पौत्र व लादू स्या का प्रपौत्र है जो
उपर्युक्त भूमि के संयुक्त रूप से खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। जिन्होने उपर्युक्त भूमियों में
रिहायशी मकानात भी बना रखे है तथा लादुस्या के अन्य वारिसान भी उक्त भूमि मे नकेो रिहायशी

मकानात बनाकर कदीमी समय से आबाद चले आ रहे है तथा उ होने इस भूमि मे बने रिहायशी मकानात मे बिजली पानी के कनेक्शन भी कदीमी समय से ले रखे है। इस भूमि में पानी की बड़ी टंकी भी बनी हुई है तथा शेष भूमि पर लादुस्या के वारिसान पारिवारिक समझौते मे आई अपने–अपने हिस्से की भूमि पर तारबन्दी कर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उन्होने इस भूमि पर सात ट्यूबवैल भी बना रखे है तथा उन्होने राज्य सरकार को इस भूमि का लगान भी अदा किया है।उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 3 व 4 मुहम्मद शाह पुत्र रमजूशाह तथा रहीम शाह व अब्दुल शाह पुत्रगण उमर शाह का नाम खातेदारी मे अवैध रूप से चला आ रहा है। अपीलान्ट्स व अन्य ग्रामीणो द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 3 व 4 के नाम के व्यक्तियों को ग्राम मुखवास मे कभी भी नही देखा, ना ही इनके बारे मे सुना है कि उपरोक्त व्यक्ति कौन है तथा इनके वारिसान कौन है तथा इनके जीवित या मृत होने के बारे मे अपीलान्ट को कोई जानकारी नही है परन्तु विवादित भूमि की जमाबन्दी मे इनका नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण इनको अपील मे पक्षकार बनाया गया है6. रेस्पोडेन्ट्स नं 23 व 4 का नाम उका भूमि की जमाबन्दी मे राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा बिना किसी आधार के खातेदारी के कॉलम में अंकित किया गया है जो अपीलान्ट्स सहित दुस्या, रसूल स्या के वारिसान के वैध खातेदारी हकूको के विरुद्ध प्रारम्भ से ही शून्य एवं बेअसर है। उक्त अवैध खातेदारी अंकन का राजायज फ. पदा उठाने की गरज से भू–माफिया किस्म के व्यक्तियो ने राजस्व कर्मचारियो से साजकर उक्त तथाकथित रहीम शाह व अब्दुल शाह के गलत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर, फर्जी रूप से रेस्पोडेन्ट्प संख्या 5 लगायत 47 को उनके कथित वारिस दर्शाकर उक्त भूति में रहीम शाह व अब्दुल शाह के नाम गलत रूप से दर्ज 1/2 खातेदारी हिस्से की बाबत अपने नाम विरासत के नामान्तरकरण भरवाने हेतु गलत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत तोलियासर ने राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से रहीम शाह की विरासत बाबत दर्ज किए नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 19.12. 2022 को अवैध रूप से दिनांक 5.1.2023 को बिना उचित आधार के मौके की भौतिक जांच किये बिना ही स्वीकृत कर दिया। जिससे आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे पूर्व से चले आ रहे अवैध खातेदारी अंकन मे रहीम शाह के स्थान पर अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 लगायत 47 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी गई। जो पूर्णतया अवैध है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 19.12.2022 जो दिनांक 5.01.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 47 के नाम स्वीकृत किया गया। वह प्रारम्भ से ही शून्य होकर निरस्त होने योग्य है।ग्राम पंचायत तोलियासर ने उक्त चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उक्त भूमि के मौके की भौतिक जांच कतई नहीकी जबकि उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि मुहम्मद शाह पुत्र रमजू शाह, रहीमबक्स व अब्दुल शाह पुत्रगण उमर शाह नामक कोई भी व्यक्ति ग्राम मुखवास में नहीं है एवं ना ही उनके जीवित या मृत होने बाबत किसी को पता है। एवं तथाकथित वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 47 का निवास स्थान भी रतन नगर जिला चूरू बताया गया है जो किस प्रकार से उक्त कथित रहीम शाह व अब्दुल शाह के वारिस हो सकते है क्योकि राजस्व इन्द्राज के अनुसार तो रहीम शाह व अब्दुल शाह को मुखवास का वासिन्दा बताया गया है इस प्रकार काल्पनिक एवं फर्जी वारिस बनकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 लगायत 47 द्वारा अपीलान्ट्स की कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि की बाबत गलत तरीके से विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु मिथ्या आवेदन पत्र पेश किया गया था। जिसे ग्राम पंचायत तोलियासर ने बिना किसी उचित आधार के चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने मे गलती कानूनी की है।चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण मे अंकित कृषि भूमि पर अपीलान्ट्स व लादू स्या, नजीर शाह के अन्य वारिसान निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वे इसी भूमि मे रिहायशी मकानात बनाकर आबाद चले आ रहे है एवं उन्होने मौके पर कई ट्यूबवैल भी बना रखे है। जबकि रेस्पोडेन्ट्स लगायत 2 लगायत 4 एवं उनके कथित वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 47 उक्त भूमि पर कभी भी किसी भी रूप मे भौतिक रूप से काबिज काश्त नही रहे है। इस तथ्य का इल्म राजस्व कर्मचारियो व ग्राम पंचायत तोलियासर के सरपंच को भली भांति रहा है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला–बाला रूप से चुनौतीग्रस्तनामानारकरण स्वीकृत करने में विधि एवं तथ्य की भारी कानूनी मूल कारित की है।ग्राम पंचायत तोलियासर द्वारा रहीम शाह की कथित विरासत का स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 113 स्वतः ही विरोधाभाषी एवं अवैध रूप से स्वीकृत किया गया है जो इस तथ्य से प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5

प्रखण्ड अधिकारी
मण्डावा

यत 47 द्वारा अपने आपको रहीम शाह व अब्दुल शाह के कथित वारिसान बतलाकर विवादित भूमि में म शाह के कथित 1/4 हिस्से के साथ–साथ अब्दुल शाह के नाम गलत रूप से दर्ज 1/4 हिस्से की त भी अपने नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था स पर हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 115 दर्ज कर ग्राम पंचायत तोलियासर के क्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था जिसे ग्राम पंचायत तोलियासर ने गलत मानते हुये आदेश दिनांक 15. 2.2023 के जरिये निरस्त कर दिया। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत तोलियासर विवादित भूमि को मुहम्मद शाह, रहीम शाह व अब्दुल शाह की खातेदारी कब्जे की नही मानती है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 47 को उक्त रहीम शाह व अब्दुल शाह का वारिस नही मानती है एवं नामान्तरकरण संख्या 115 को अस्वीकृत करती है ऐसी सूरत मे ग्राम पंचायत तोलियासर द्वारा उसी भूमि एवं उन्ही पक्षकारो के नाम से प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 113 को स्वीकृत करना स्वतः गलत, अवैध एवं विरोधाभाषी प्रमाणित है। जिसके बखूबी साबित है कि ना तो विवादित भूमि मुहम्मद शाह, रहीम शाह व अब्दुल शाह के खातेदारी कब्जे काश्त की रही है एवं ना ही रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 लगायत 47 इनके वारिस है।अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील आपलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांकित 19.12.2022 जिसे ग्राम पंचायत तोलियासर द्वारा दिन कि 05.01.2023 को स्वीकृत किया गया है, को खारिज फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडन्ट न0 01 लगायत 47 बाद तामिल के उपसिथत नहीं होने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी

विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दौरान बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस बाबत नामान्तकरण संख्या 113 ग्राम मुखवास दिनांक 24.04.1975 खिलाफ कानून व न्याय पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई वारीसान की जांच भी नही की ओर ना ही मोंका जांच की। अवैध राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में कुछ भू–माफिया प्रवृति के व्यक्तियों द्वारा उक्त रहीम शाह व अब्दुल शाह के फर्जी तौर पर वारिसान बनकर अपीलान्ट्स व उनके परिवारजन की कब्जे काश्त की उक्त भूमि की बाबत राजस्व कर्मचारियो से साजकर गलत रूप से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 05.01.2023 को ग्राम पंचायत तोलियासर पंचायत समिति मण्डावा से स्वीकृत करवा लिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 24.04.1975 को निरस्त फरमाया जाकर जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। अपीलान्ट पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने हक हिस्से एवं कब्जे बाबत पेश किये गये साक्ष्य एंव तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार की जानी न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अपील आंशिक रूप से अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है।ग्राम पंचायत तोलियासर के नामान्तकरण संख्या 113 ग्राम मुखवास दिनांक 05.01.2023 में पारित आदेश की कियान्विती स्थगित करते हुए तहसीलदार मण्डावा को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि विरासत नामान्तरण के सबंध में अपनायी जाने वाली विधिक प्रकिया के अधीन उक्त प्रकरण में मृतक रहीमशाह पुत्र उमरशाह जाति फकीर सा. खातेदार के उक्त विरासत नामान्तरकरण पर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य (विधिक वारिसान होने का प्रमाण) पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय पारित करें। साथ ही अपीलान्ट पक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपने हक हिस्से एवं कब्जे बाबत सक्षम न्यायालय में वाद के माध्यम से चाराजोही कर घोषणा करवाने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा